FORM NO. III.

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : नावां सिटी, जाशौर

शीतादेवी w/o सुरेश कुमार शवारियां सा॰ मीठड़ी बनाम : कान्तादेवी w/o सीताराम ब्राह्मण सा॰ मीठड़ी

किस्त मुकदमा 53,188 RTA वाद-पत्र मु. नम्बर 181 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26/12/18	वकील श्री सुरेन्द्र सेवर ने यह वाद पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया ~~जाता है~~ जाकर पत्रावली दिनांक 9.1.19 को पेश हो।	
9/1/19	पत्रावली पेश बार एसोसियशन में कन्डोलेन्स .... कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली इत्ताका होकर दिनांक 21/1/19 को पेश हो।	
21/1/19	पत्रावली पेश बार एसोसियशन में कन्डोलेन्स .... कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली इत्ताका होकर दिनांक 29/1/19 को पेश हो।	
29/1/19	पत्रावली पेश बार एसोसियशन में कन्डोलेन्स .... कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली इत्ताका होकर दिनांक 13/2/19 को पेश हो।	
13/2/19	पत्रावली पेश हुई। बवजह उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बाहर है पत्रावली दिनांक 5/3/19 को पेश हो।	
5/3/19	पत्रावली पेश हुई। बवजह उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बाहर है पत्रावली दिनांक 13/3/19 को पेश हो।	
13/3/19	पत्रावली पेश बार एसोसियशन में कन्डोलेन्स .... कर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली इत्ताका होकर दिनांक 3/4/19 को पेश हो।	

3/4/19	वकील वादी उप० प्रतिवादीगण के सम्मन अदम तामील प्राप्त पुन पेश करें। पे० हो 8/4/19 को पेश हो। Sd/-	
8/4/19	वकील वादी उप० प्रतिवादीगण के सम्मन पेश करने हेतु हिदायत दी गई। मि० पे० 18/4/19 को पेश हो। Sd/-	
18/4/19	वकील वादी उप० प्रतिवादी 1 से 8 के सम्मन विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त हुए बार-बार आवाज लगायी गई। जिसके बावजूद अनुपस्थित रहे हैं। एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी 9,10 के सम्मन पूर्व तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद आज दिनांक तक अनुपस्थित रहे हैं। ~~एक~~ एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। मि० वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 29/5/19 को पेश हो। Sd/-	
29/4/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर गये हैं पत्रावली दिनांक 8/5/19 को पेश हो। Sd/-	
8/5/19	पत्रावली पेश बार एसोसियशन मे ...... कर कार्य स्थगन का निर्णय किया / पत्रावली इजलास ...... दिनांक 14/5/19 को पेश हो। Sd/-	
14/5/19	वकील वादी उप० साक्ष्य वादी में वादी स्वंय व गवाह अब्दुल रहमान, राधेश्याम के शपथ-पत्र पेश किये हैं। और साक्ष्य पेश नहीं करना ~~करना~~ चाहते हैं साक्ष्य बन्द की जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीनी द्वारा पेश वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीनी ग्राम मीठडी के ख० नं. 486 रकबा 0.64 हैक्टयर भूमि में 7/32 हिस्से की सहखातेदार	

की तारीख में जारी हुए

दर्ज रिकार्ड हैं जिसमे सम्पूर्ण भूमि मे 0.14 है० भूमि वादीनी के हिस्से मे आती हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड मे बेरवारा नहीं हो रखा हैं संयुक्त खातेदारी दर्ज है जिससे वादीनी अपने हक हिस्से व खातेदारी भूमि का सही उपयोग उपभोग नहीं कर पा रही हैं प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में बेरवारा करवाने की कहने पर उनके द्वारा इन्कार करने पर यह वाद पेश करना पड़ा हैं। वादीनी ने यह वाद पेश कर ग्राम मीठड़ी के ख.नं. 486 रकबा 0.64 है० भूमि मे 0.14 हैक्टयर भूमि का बाडि मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बेरवारा करने की इस्तदुआ की हैं।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन विधिवत रूप से तामील होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। साक्ष्य वादी में वादीनी स्वंय व दो गवाहो के शपथ-पत्र पेश किए हैं। हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2074-77 पेश की हैं जिसके ख.नं. 486 रकबा 0.64 है० भूमि में वादीनी 7/32 हैक्टयर भूमि की खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं वादीनी के साथ 9 अन्य खातेदार संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड हैं वादीनी अपने हिस्से की भूमि का बाडि मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बेरवारा करवाना चाहती हैं। वादीनी विवादित भूमि में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं जिसको अपने हक हिस्से की भूमि का बेरवारा करवा कर अलग होल्डिंग कायम करवाने का कानुनी अधिकार हैं। जिससे वादीनी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर बेरवारा प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	अतः वादीनी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम मिठड़ी के ख.नं. 406 रकबा 0.64 हैक्टयर भूमि में वादीनी की खातेदारी में दर्ज 7/32 हिस्से की भूमि का उभय पक्षकारों को विधिवत रूप से सूचित कर मौका निरीक्षण कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो। पत्रावली बंटवारा प्रस्ताव हेतु दिनांक 25/6/19 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)	
25/6/19	पत्रावली पेश बार एसोसियेशन में कन्डोलेन्स .... पर कार्य स्थगन का निवेदन किया/ पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 9/7/19 को पेश हो।	
9/7/19	वकील वादी उप० बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 16/7/19 को पेश हो। Sd/-	
16/7/19	पत्रावली पेश हुई। इसी विवादित भूमि के सम्बन्ध में एक वाद 59/19 सेजूदेवी बनाम केशव गौड़ विचाराधीन है, जिसमें दोनों वाद पर बहस सुनी जाकर वाद सं. 59/19 में निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया है जो इस वाद में भी प्रभावी रहेगा। यह वाद फैसल शुमार होकर वाद सं. 59/19 के साथ नथी रहेगा। Sd/- उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)	